न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक– 15 दिनांक– 29-11-23

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि **आरक्षी केन्द्र भिनाय** से संबंधित धारा– 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्व किए जाने वाले बयान, मृत्युकालिक कथन निम्न सूची में वर्णित अनुसार प्रथम लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा, प्रथम लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता में द्वितीय लिंक न्यायालय एवं द्वितीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता में तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित किए जाने बाबत इस कार्यालय के गत कार्यालय आदेश क्रमांक 05 दिनांकित 27.04.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क्रम संख्या	आरक्षी केन्द्र का नाम	क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का नाम	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय	तृतीय लिंक न्यायालय
I	II	III	IV	V	VI
01	भिनाय	ACJM-2, KEKRI	JM SARWAR	JM KEKRI	ACJM-1, KEKRI

नोट–

01. हस्तगत आदेश की दिनांक से पूर्व न्यायालयों में पेशशुदा 164 सीआर.पी.सी., मृत्युकालिक कथन, इन्चेन्ट्री कार्यवाही के प्रार्थना–पत्र की कार्यवाही संबंधित न्यायालयों के द्वारा ही पूर्ण की जावेगी।

02. उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त किए जाते है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आदेश प्राप्त किए जायेंगे।

03. उपरोक्त न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित माल एवं मुलजिम की कार्यवाही शिनाख्तगी की कार्यवाही संबंधित मुख्यालय के उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में संबंधित मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

04. यदि किसी प्रकरण में गवाह की उम्र– 18 वर्ष से कम हो व गवाह Child Care Institutions,Ajmer में दाखिल हो, उनके बयान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक Gen/XV/45/2006/committee/655 dated 21-02-2023 की पालना में 164 सीआर.पी.सी. के बयान लेखबद्व करवाए जाने हेतु आदेश पृथक से अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किए जाऐंगे।

(हस्ताक्षर)
{सीमा ढ़ाका}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

क्रमांक – 2379 to 2385. दिनांक – 29.11.2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :–

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर न्याय क्षेत्र।
03. पुलिस अधीक्षक, केकड़ी।
04. उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी मार्फत जिला कलक्टर, केकड़ी।
05. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, केकड़ी मार्फत जिला कलक्टर, केकड़ी।
06. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम, केकडी को प्रेषित कर लेख है कि केकडी मुख्यालय के समस्त आरक्षी केन्द्रों को जरिये वायरलेस सूचित किया जावें।
07. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर upload करें।
08. कार्यालय प्रति।

(हस्ताक्षर)
{सीमा ढ़ाका}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।